



Govt. Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



## Right To Information Act 2005

क्रमांक: राअमअ/RTI /2019/188

दिनांक: 11.07.19

### कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत महाविद्यालय में श्री चन्द्रवर्धन सिंह राघव की द्वितीय अपील प्राप्त हुई हैं जिसके क्रम में महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि निम्न सूचना की 02 सत्यापित छायाप्रति 10 दिवस में आवश्यक रूप से RTI Cell में उपलब्ध करा दें। यदि कोई सूचना उनके विभाग में उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उक्त के संबंध में यदि कोई शास्ती लगाई जाती है तो संबंधित से वसूल की जावेगी।

### सूचना का विवरण

- (1) सत्र 2018-19 में दिनांक 13.02.2019 तक आपके विभाग में पढ़ाये गये समस्त विषयों, प्रयोगशालाओं एवं टुटोरियल (Tutorial) की छात्रों की उपस्थिति पंजिका (शिक्षकों के नाम सहित)
- (2) सत्र 2016.17 के दोनों सेमेस्टर, 2017.18 के दोनों सेमेस्टर एवं 2018.19 के विषम सेमेस्टर में विद्यार्थियों के विषयों, प्रयोगशालाओं एवं टुटोरियल के अंक जो प्रत्येक विभाग में उस विभाग में पढ़ाये जाने वाले संकाय सदस्यों (स्थायी एवं अस्थायी) द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर करके जमा करवाते हैं उन अंको की प्रतिलिपि

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- राअमअ/2019/2097-2099

1. प्राचार्य को सूचनार्थ
2. समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. रक्षक पत्रावली

लोक सूचना अधिकारी